

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्य प्रदेश

क्रमांक/अ.प्रशा./सेल-5/2018/1326

भोपाल, दिनांक 27/8/2018

:: आदेश ::

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के बायोमैडिकल वेस्ट (मेनेजमेंट एण्ड हैंडलिंग) नियम 2016 के नियम के अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की चिकित्सा संस्थाओं (जिला चिकित्सालय-51, सिविल अस्पताल-65, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-335, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-1170, तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थायें-19) की वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 के लिये जल एवं वायु सम्मती शुल्क राशि रूपये 2,21,80,500/- (रु-दो करोड़ इक्कीस लाख आठ हजार पाँच सौ मात्र) मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह व्यय मांग संख्या-19, मुख्य शीर्ष 2210-01-110-5719-9999-31-006 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

संलग्न-(चिकित्सालयों की सूची)

डॉ. राजीव सक्सेना  
अपर संचालक, वित्त

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म०प्र०

भोपाल, दिनांक 27/08/2018

पृ.क्रमांक, अस्प. प्रशा./सेल- 5/2018/1327

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. महालेखाकार, कार्यालय महालेखाकार, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
2. चेयरमेन, म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ई-5 अरेरा कलोनी, भोपाल।
3. आहरण एवं संचितरण अधिकारी, स्थानीय कार्यालय-कृपया उक्त राशि का आहरण कर मेम्बर सेक्रेटरी म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, के नाम से उनके पंजाब नेशनल बैंक ई-5 अरेरा कालोनी, भोपाल की शाहपुरा एक्सटेंशन काउंटर ब्रांच में सेविंग एकाउण्ट क्रमांक 3229010100012663 में जमा कर अथवा मेम्बर सेक्रेटरी म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, के नाम से बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान कर पावती रसीद से अस्पताल प्रशासन शाखा को सूचित करने का कष्ट करे।
4. कोषालय अधिकारी वल्लभ भवन भोपाल म०प्र०।
5. श्री आर.के मालवीय, चीफ कमिस्ट, म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ई-5 अरेरा कलोनी, भोपाल कि ओर चिकित्सा संस्थाओं की सूची संलग्न भेजकर कृपया प्रदेश में आपके अधिनस्थ सभी कार्यालयों को सूची में उल्लेखित चिकित्सा संस्थाओं को आथोराइजेशन सर्टिफिकेट जारी करने हेतु आवश्यक निदेश जारी करने का कष्ट करें।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें म०प्र०, की ओर चिकित्सा संस्थाओं की सूची के साथ प्रेषित।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर चिकित्सा संस्थाओं की सूची के साथ प्रेषित।
8. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्य प्रदेश की ओर चिकित्सा संस्थाओं की सूची के साथ प्रेषित।
9. श्री थॉमस, कम्प्यूटर कक्ष स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर इसकी विभागीय वेब-साईट पर प्रदर्शित करे।

डॉ. राजीव सक्सेना  
अपर संचालक, वित्त

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म०प्र०